न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– **104 / 2023**

GCMS NO. 2023/289

बिशनदयाल पुत्र राधाकिशन, उम्र 80 वर्ष, जाति महाजन, निवासी ग्राम बसई, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज.)

..........प्रार्थी

1. अशोक सिंह पुत्र जय सिंह
2. ओमपाल सिंह पुत्र जय सिंह
3. धर्मपाल सिंह पुत्र जय सिंह
4. विमला कंवर पुत्री जय सिंह
5. भंर देवी पुत्री जय सिंह
6. रुकमणी पुत्री जय सिंह
7. हरि सिंह पुत्र अलबाद सिंह

} समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम बसई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज)

8. माया देवी पत्नि लीलाराम
9. योगेश कुमार पुत्र लीलाराम
10. सौरभ कुमार मीणा पुत्र लीलाराम
11. रामचन्द्र पुत्र नारानाराम

} समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम बसई, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज)

12. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बसई जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा बसई, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज.)
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज.)

..........अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना–पत्र बाबत दिलाये जाने रास्ता</u>
<u>अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

–: **<u>निर्णय</u>** :– दिनांक :– 07/4/25

उपस्थित :–

1. श्री विजेन्द्र सैनी– अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री शिशराम गुर्जर – अभिभाषक अप्रार्थीगण सं0 7 एवं 11

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 15:01:15 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त उनवानी प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर पेश किया [illegible] है [illegible] वाके ग्राम बसई, पटवार हल्का बसई, भू.अभि.नि. वृत्त मेहाड़ा आदिवास, तहसील [illegible]ड़ी, जिला–झुन्झुनू (राज.) स्थित जमाबन्दी अन्तिम चौसाला सम्व[illegible] 2073 [illegible] हाल खाता संख्या नया 162 में दर्ज हाल खसरा नम्बर 230 रकबा 0.7400 हैक्टयर, [illegible]सरा नम्बर 408 रकबा 0.1500 हैक्टयर, खसरा नम्बर 410 रकबा 0.7100 हेक्टेयर, कुल किता खसरा 3

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

कुल रकबा 1.6000 हैक्टेयर की भूमि में प्रार्थी हिस्सा सम्पूर्ण का खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा वर्तमान में प्रार्थी मौके पर उक्त भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर रहा है। ग्राम बसई, पटवार हल्का बसई, भू.अभि.नि.वृत्त – मेहाड़ा जाटूवास, तहसील – खेतड़ी, जिला– झुन्झुनू (राज.) स्थित जमाबन्दी अन्तिम चौसाला सम्वत् 2073 लगायत 2076 के हाल खाता संख्या नया 86 में दर्ज हाल खसरा नम्बर 160 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 161 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 168 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 169 रकबा 0.5700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 171 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 177 रकबा 0.9000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 179 रकबा 0.5400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 204 रकबा 0.8700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 279 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 614 रकबा 0.0400 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 615 रकबा 0.3600 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 618 रकबा 1.4800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 679 रकबा 0.1200 हेक्टयर, कुल किता खसरा 13 कुल रकबा 6.4000 हैक्टेयर की भूमि में अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 7 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड हैं तथा मौके पर उक्त भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। ग्राम बसई, पटवार हल्का बसई, भू.अभि.नि.वृत्त– मेहाड़ा जाटूवास, तहसील – खेतड़ी, जिला– झुन्झुनू (राज.) स्थित जमाबन्दी अन्तिम चौसाला सम्वत् 2073 लगायत 2076 के हाल खाता संख्या नया 212 में दर्ज हाल खसरा नम्बर 207 रकबा 0.4800 हैक्टेयर, कुल किता खसरा 1 कुल रकबा 0.4800 हैक्टेयर की भूमि में अप्रार्थीगण सं. 8 लगायत 11 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड हैं तथा मौके पर उक्त भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। प्रार्थी के खेत जोत ग्राम बसई स्थित खसरा नम्बर 230 रकबा 0.7400 हैक्टेयर भूमि में जाने के लिए खेतड़ी से निजामपुर रोड़ जाने वाली मुख्य पक्की सड़क से दक्षिणी दिशा की तरफ फटकर अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 7 की सन्युक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 204 रकबा 0.8700 हैक्टेयर की पश्चिमी मेड के सहारे सहारे फिर आगे अप्रार्थीगण सं. 8 लगायत 11 की सन्युक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 207 रकबा 0.4800 हैक्टेयर की पश्चिमी मेड के सहारे सहारे प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 230 रकबा 0.7400 हैक्टेयर के उत्तरी–पूर्वी कोने तक में प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 230 रकबा 0.7400 हैक्टेयर में जाने के लिए रास्ता चालू है, उसी रास्ते से होकर प्रार्थी अपने खेत में आता जाता है और इधर से ही प्रार्थी अपने खेत में साधन लाता व ले जाता है, इसके आलावा प्रार्थी के पास अपने खेत खसरा नम्बर 230 रकबा 0.7400 हैक्टेयर में साधन लाने ले जाने व आने जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त वर्णित रास्ते को नजरी नक्शे में लाल सुर्ख स्याही से दशाया गया है। प्रार्थी का यह रास्ता कदीम से प्रार्थी के आवागमन के रास्ते के रूप में व साधन लाने ले जाने के काम में आता रहा है, उक्त रास्ता ही प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 230 रकबा 0.7400 हैक्टेयर तक पहुँचने के लिए मौजूद है जो सबसे छोटा व खेतड़ी से निजामपुर रोड़ जाने वाली मुख्य पक्की सड़क से सबसे कम दूरी का है, इसके अलावा प्रार्थी के पास अपने खेत में आने जाने व साधन लाने ले जाने के लिए कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी अपनी भूमि के समस्त कृषि कार्य इसी रास्ते से करता है, जैसे फसल जोतना, काटना, उपज का परिवहन करना, खेतों में खाद डालना, कुएँ से मोटर के सामान का परिवहन करना आदि सभी कार्य इसी रास्ते से करता आ रहा है। प्रार्थी ने गत सप्ताह अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 11 से अपनी भूमि में जाने के लिए उक्त रास्ते को 12

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 16:01:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

फुट रास्ते को कटान में करवाने बाबत कहा तो अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 11 साफ इन्कार हो गए तथा उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग करने से भी प्रार्थी को मना कर दिया और कहा कि हमारी खातेदारी की व हमारी कब्जाशुदा भूमि है, हम इधर से साधन लाने ले जाने नहीं देंगे, इस कारण प्रार्थी को कानून के अनुसार अपने खेत में जाने के लिए अप्रार्थीगण 1 लगायत 11 की सन्युक्त खातेदारी की भूमि में से 12 फुट चौड़ा रास्ता प्राप्त करने व राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम करवाने के लिए यह आवेदन–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ ।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र से अनुतोष चाहा कि प्रार्थी के खेत ग्राम बसई स्थित खसरा नम्बर 230 रकबा 0.7400 हैक्टेयर भूमि में जाने के लिए खेतड़ी से निजामपुर रोड़ जाने वाली मुख्य पक्की सड़क से दक्षिणी दिशा की तरफ फटकर अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 7 की सन्युक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 204 रकबा 0.8700 हैक्टेयर की पश्चिमी मेड के सहारे सहारे फिर आगे अप्रार्थीगण सं. 8 लगायत 11 की सन्युक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 207 रकबा 0.4800 हैक्टेयर की पश्चिमी मेड के सहारे सहारे प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 230 रकबा 0.7400 हैक्टेयर में जाने के लिए 12 फुट चौड़ा रास्ता दिलाया जाकर उस रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर नक्शा तरमीम किया जावे तथा उक्त रास्ते के लिए धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राशि निर्धारित कर उसके खातेदारों को दिलाये जाने की कृपा करें ।

प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की सम्यक तामिल हुई। अप्रार्थी सं. 7 व 11 की ओर से अधिवक्ता श्री शीशराम गुर्जर ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र मय अतिरिक्त उत्तर पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार खेतड़ी के पत्रांक राजस्व/2023/871 दिनांक 06.10.2023 से प्राप्त रिपोर्ट मय मूल जांच रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक मेहाडा जाटूवास रही कि– प्रार्थीगण बिशनदयाल पुत्र श्री राधकिशन जाति महाजन निवासी ग्राम बसई में भूमि ख०नं० 230 रकबा 0.74 है० किस्म बारानी–1 जो खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। जहां तक रास्ते की परम आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ता भूमि ख०नं० 204 रकबा 0.87 है० किस्म बारानी–1 जो कि संयुक्त खातेदारी के रूप में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया प्रस्तावित रास्ता लघुतम है जिसकी लम्बाई खसरा संख्या 204 में लम्बाई 56 मीटर व खसरा संख्या 207 में लम्बाई 40 मीटर जो कि बिन्दु A से B तक कुल लम्बाई 96 मीटर है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 96 व 4 मीटर चौड़ाई जिसका क्षेत्रफल 384 वर्गमीटर बनता है। जिसकी डी.एल.सी. दर रेट 46185/– रु बनती है। जिसकी दुगनी राशि 92370/– रु है। प्रस्तावित रास्ते में किसी वृक्ष, फसल या निर्माण की बाधा नहीं है।

प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में [illegible] आंशिक नकल नक्शा किस्तवार ग्राम बसई एवं नकल जमाबंदी संवत 2073–2076 [illegible] खाता संख्या नया 212, 86, 162 ग्राम बसई पेश की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 16:01:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

पत्रावली पेश हुई। विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। बहस समाहत की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है। तहसीलदार खेतड़ी ने भी अपने रिपोर्ट में रास्ता दिए जाने योग्य बताया है।

न्यायालय प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ते को मात्र जोत के सुविधाजनक उपभोग (Not mere convenient enjoyment of holding) के लिये नहीं है बल्कि आत्यांतिक आवश्यकता (Absolute Necessity) का मामला पाता है। यह भी कि आवेदक ने अपने खेत में आने जाने एवं फसल उपज को लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक साधन/रास्ता की अनुपलब्धता (Absence of alternative means of access) को भी साबित किया है। न्यायालय आवेदक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

–::आदेश::–

न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम वाके ग्राम बसई स्थित भूमि खसरा नम्बर 230 रकबा 0.74 है. में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 204 रकबा 0.87 है. की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे 56 X4 = 224 व.मी.व खसरा नम्बर 207 रकबा 0.48 है. की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे 40 X4 = 160 व.मी कुल 384 व.मी. प्रार्थी को रास्ते के रूप में दिए जाने के आदेश दिये जाते हैं। रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में " गैर मुमकिन रास्ता" प्रदर्श– "अ"के रूप मे दर्ज की जावे। नक्शा ट्रेस प्रदर्श –"अ" के अनुसार राजस्व रिकार्ड में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार खेतडी को आदेर्शित किया जाता है कि प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान DLC की दर से गणना कर दुगुनी राशि राजकोष में जमा करवाकर प्रभावित क्षेत्रफल के पक्षकारो का नियमानुसार राशि गणना कर अदा करेगें। अनावेदकगण को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि उक्त रास्ते के उपयोग, उपभोग मे किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। तहसीलदार खेतड़ी रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। रिकॉर्ड में अमल की दृष्टि से रास्ते का रकबा पूर्ण एयर में रखा जावे। रास्ता के सीमा चिन्ह कायम कर कब्जा सुपुर्द किया जावे। रहन यदि कोई हो तो रास्ता में जाने वाला रकबा रहन से मुक्त माना जावे।

निर्णय आज दिनांक 07/11/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 15:01:15 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं